

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की अधिसूचना क्रमांक 09/ई.वी./2023 दिनांक 16.11.2023 द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में बुधवार दिनांक 25.12.2024 से मंगलवार 31.12.2024 तक शीतकालीन अवकाश (Winter Holidays) घोषित किया गया है, जिसके क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से प्राप्त आदेश क्रमांक 07/विविध/2024 दिनांक 30.11.2024 के अनुसार समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीशों एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय उक्त अवधि में बंद रहेंगे।

दिनांक 25.12.2024 से 31.12.2024 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों एवं विशिष्ट न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में पूरे सेशन खण्ड के ऐसे आवश्यक आवेदन पत्र जो सेशन न्यायालय/विशिष्ट न्यायालय के समक्ष पेश किये जावेंगे या लंबित हैं, उन्हें नीचे तालिका के कॉलम संख्या 2 में वर्णित न्यायिक अधिकारीगण को उनके नाम के आगे अंकित अवधि में सुनने एवं निपटारे जाने हेतु अधिकृत किया जाता है :-

क.सं.	शीतकालीन अवकाश अवधि हेतु अधिकृत न्यायिक अधिकारी का नाम	अवधि (दिनांक)
1	2	3
1	श्री रविकान्त मीना, अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2, दौसा	25.12.2024 से 28.12.2024
2	श्रीमती मधु शर्मा, अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2, लालसोट	29.12.2024 से 31.12.2024

उपरोक्त अधिकृत न्यायिक अधिकारीगण की बैठक का स्थान दौसा मुख्यालय पर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा का न्यायालय रहेगा, अतः न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा के कर्मचारीगण दिनांक 25.12.2024 से 31.12.2024 तक शीतकालीन अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।

अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालय शीतकालीन अवकाश अवधि में बंद रहेंगे। उक्त अवधि में जमानत एवं निरोध अवधि की अवधि अभिवृद्धि (रिमाण्ड) संबंधी एवं अन्य आवश्यक सिविल मामलों के निपटाने के लिए संपूर्ण न्यायक्षेत्र/सेशन खण्ड के लिए निम्न तालिका के कॉलम संख्या 2 में अंकित न्यायिक अधिकारीगण को उनके नाम के आगे अंकित अवधि में आवश्यक एवं दैनिक कार्य किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है :-

क.सं.	शीतकालीन अवकाश अवधि हेतु अधिकृत न्यायिक अधिकारी का नाम	अवधि (दिनांक)
1	2	3
1	सुश्री शशि, अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई	25.12.2024 से 28.12.2024
2	श्री विनोद कुमार खर्वा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिकराय	29.12.2024 से 31.12.2024

उपरोक्त अधिकृत न्यायिक अधिकारीगण की बैठक का स्थान दौसा मुख्यालय पर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा का न्यायालय रहेगा, अतः सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा के कर्मचारीगण दिनांक 25.12.2024 से 31.12.2024 तक शीतकालीन अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।

उक्त शीतकालीन अवकाश की अवधि में आने वाले राजपत्रित व सार्वजनिक अवकाशों में उक्त अधिकृत न्यायालय भी बन्द रहेंगे। शीतकालीन अवकाश की अवधि में कार्य दिवस पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को अगले कलेण्डर वर्ष में नियमानुसार क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश देय होंगे।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
दौसा जिला दौसा